प्रेस नोट

दिनांकः- 22.04.2021

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक:- 22.04.2021 को जनपद में अपराधियो के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना डिडौली पुलिस द्वारा लाठी-डंडो से मारपीट करने व जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त 1. मोहम्मद हसीब पुत्र राबुल हसन 2. नदीम अहमद पुत्र राबुल हसन व 3. मोहम्मद अली पुत्र रिहान निवासीगण ग्राम पलौला थाना डिडौली जनपद अमरोहा को मय 02 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना नौगांवा सादात पुलिस द्वारा अभियुक्त अकरम पुत्र अकबर निवासी मौ0 दुर्जीवाला नई बस्ती कस्बा व थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोप्रत करने के लिये हमला करने, सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने व गाली गलौच करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्त 1. मुरसलीम पुत्र फजल मौहम्मद व 2. मुस्तफा पुत्र फजल मौहम्मद निवासीगण ग्राम मौहम्दाबाद थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास पुत्र कलवा निवासी मथना रोड कस्बा व थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को मय 20 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पन्नालाल पुत्र बिहारीलाल निवासी ग्राम तलावडा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय अवैध शस्त्र 01 देशी रायफल व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 41 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति , थाना डिडौली पुलिस द्वारा 15 व्यक्ति , थाना नौगांवा सादात पुलिस द्वारा 10 व्यक्ति , थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति ,थाना गजरौला पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति , थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों को धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।